

भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 981

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

अवैध खनन

981. श्री रमेश बिन्दः

श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमाः

सुश्री देबाश्री चौधरीः

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड की कई सहायक कंपनियों के अवैध खनन के कारण हर साल होने वाले कुल नुकसान का अनुमान लगाया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अवैध खनन के कारण होने वाले अनुमानित नुकसान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और साथ ही इस अवैध कार्य पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) गुजरात राज्य में अवैध कोयला खनन की तुलनात्मक स्थिति सहित इन गतिविधियों में शामिल होने के लिए हिरासत में लिए गए लोगों/कंपनियों/ठेकेदारों का विवरण क्या है;

(घ) क्या सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों में अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए कोई पहल की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख) : कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयला उत्पादन के दौरान विभिन्न कार्यकलापों के संचालन के लिए विभिन्न अधिनियमों, नियमों और विनियमों के अंतर्गत सभी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया जाता है। इस प्रकार, कोल इंडिया लिमिटेड के पट्टाधारी क्षेत्रों में कोई अवैध खनन नहीं हुआ है। तथापि, मुख्य रूप से सुदूर/एकांत स्थानों पर स्थित परित्यक्त खानों, उथले कोयला सीमों से कोयले का अवैध खनन किए जाने की सूचना मिली है। यह

कानून और व्यवस्था की समस्या है जो कि राज्य का विषय है, अतः कोयले के अवैध खनन को रोकने/कम करने हेतु आवश्यक निवारक कार्रवाई करना मुख्य रूप से राज्य/जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

कोयले के अवैध खनन के कारण हुए नुकसान का सटीक उल्लेख करना संभव नहीं है। तथापि, सुरक्षा कर्मियों द्वारा मारे गए छापों तथा संबंधित राज्य सरकार के कानून एवं व्यवस्था प्राधिकारियों के साथ मारे गए संयुक्त छापों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान बरामद कोयले का कंपनी-वार और राज्य-वार अनुमानित मूल्य निम्नानुसार है -

(अंतिम)

कंपनी	राज्य	अनुमानित मूल्य (लाख रुपये)		
		2022-23	2021-22	2020-21
ईसीएल	पश्चिम बंगाल	7.020	0.780	39.420
	झारखंड	80.660	7.400	0.050
	कुल ईसीएल	87.680	8.180	39.470
सीसीएल	झारखंड	0.232	0.904	0.050

कोयले के अवैध खनन की जांच करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

इन क्षेत्रों में अभिगम और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए भूमिगत परित्यक्त खानों के मुहाने पर कंक्रीट की दीवारें बनाई गई हैं।

सुरक्षा कर्मियों और संबंधित राज्य सरकार के कानून और व्यवस्था प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से औचक छापेमारी/जांच की जा रही है।

उद्गमन क्षेत्रों (आउटक्रॉप ज़ोन्स) पर ओवरबर्डन की डंपिंग की जा रही है।

अति संवेदनशील स्थलों पर चेक-पोस्ट स्थापित करना।

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मौजूदा सुरक्षा/सीआईएसएफ कर्मियों को प्रशिक्षण, सुरक्षा क्षेत्र में भर्ती किए गए नए लोगों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण और बुनियादी प्रशिक्षण देना;

राज्य प्राधिकारियों के साथ गहन संपर्क बनाए रखना।

अवैध खनन के विभिन्न पहलुओं पर नजर रखने के लिए सीआईएल की कुछ सहायक कंपनियों में विभिन्न स्तरों (ब्लॉक स्तर, उप-प्रभागीय स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर) पर समिति/कार्य दल का गठन किया गया है।

भारत सरकार ने अप्राधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए 'खनन प्रहरी' नामक एक मोबाइल ऐप और कोयला खान निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस) नामक एक वेब ऐप को प्रारंभ किया है ताकि संबंधित कानून और व्यवस्था प्राधिकारियों द्वारा निगरानी रखने और उपयुक्त कार्रवाई करने में सहायता मिल सके।

(ग) : सुरक्षा कार्मिकों द्वारा मारे गए छापोँ और संबंधित राज्य सरकार के कानून और व्यवस्था प्राधिकारियों के साथ मारे गए संयुक्त छापे के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान बरामद किए गए कोयले की मात्रा और कोयले के अवैध खनन के मामलों में की गई गिरफ्तारियों की कंपनी-वार और राज्य-वार संख्या, नीचे दी गई है:-

(अनंतिम)

कंपनी	राज्य	2022-23		2021-22		2020-21	
		बरामद की गई मात्रा (टन)	की गई गिरफ्तारियाँ (संख्या में)	बरामद की गई मात्रा (टन)	की गई गिरफ्तारियाँ (संख्या में)	बरामद की गई मात्रा (टन)	की गई गिरफ्तारियाँ (संख्या में)
ईसीएल	पश्चिम बंगाल	117.09	14	13.19	0	788.64	3
	झारखंड	1344.70	1	123.42	3	1.00	0
	कुल ईसीएल	1461.79	15	136.61	3	789.64	3
सीसीएल	झारखंड	16.16	0	29.00	0	1.50	0

गुजरात राज्य में कोल इंडिया लिमिटेड की कोई खान नहीं है।

(घ) और (ङ) : कोयले के अवैध खनन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में दिया गया है।
